मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पंजीकरण दिनॉक: निर्णय दिनॉक: अवधि:
22/11/18 02/07/20 1 वर्ष, 7 माह, 10 दिन

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

एम.ए.सी.पी.संख्या–452/2018

दुर्गा प्रसाद उम्र करीब 46 वर्ष पुत्र गोटीराम निवासी अम्मरगढ़ (अमरा) थाना व तहसील मोंठ, जिला झॉसी

––––––याची

प्रति

1. शीरी बेगम पत्नी श्री मुहम्मद हबीब खान निवासी कर्नल गंज सुख्खापुरवा गोंडा जिला गोंडा

.....मालिक ट्रक नं. यू.पी. 43 टी 9165

2. गुरूप्रसाद पुत्र शिवकरन सोनकर निवासी मेंहदीखेड़ा श्याम नगर थाना आलमबाग, लखनऊ जिला लखनऊ

.....चालक ट्रक नं. यू.पी. 43 टी 9165

3. दि न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड शाखा गोंडा, जरिये मण्डलीय प्रबन्धक दि न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सिविल लाईन कचहरी चौराहा के पास, झॉसी

.....बीमाकर्ता ट्रक नं. यू.पी. 43 टी 9165

––––––––––विपक्षीगण।

याची के अधिवक्ता श्री इन्द्रपाल सिंह
विपक्षी सं.1 व 2 के अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार शिवहरे
विपक्षी सं. 3 के अधिवक्ता श्री अरूण श्रीवास्तव

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याची द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 166 व 140 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में दीपक कुमार की मृत्यु के कारण ₹ 23,00,000/– क्षतिपूर्ति हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण यह है कि याची का पुत्र दीपक कुमार दिनॉक 13.10.2018 को समय करीब 3.00 बजे शाम गांव के ही मनीष के साथ मोटर साइकिल से ग्राम अम्मर गढ़ से मोंठ जा रहा था जैसे ही वह इद्दू होटल के पास पहुंचा तो वहां पर गांव का रविन्द्र पुत्र रघुवीर मिल गया तो दोनों मोटर साइकिल बन्द कर सड़क किनारे उससे बात करने लगे तभी झॉसी की तरफ से ट्रक नं. यू.पी. 43 टी 9165 जिसका चालक उक्त ट्रक को बड़ी तेजी व लापरवाही से लहराता हुआ आया और सड़क किनारे खड़े दीपक कुमार, मनीष एवं मोटर साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी जिससे साइकिल क्षतिग्रस्त हो गयी एवं दीपक व मनीष को गम्भीर चोटें आयीं। दीपक कुमार को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोंठ ले जाया गया तथा हालत चिंता–जनक होने के कारण उसे मेडिकल कांलेज, झॉसी में रेफर किया गया जहॉ दौरान इलाज रात्रि में उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त ट्रक के चालक के विरूद्ध थाना मोंठ में मुकद्दमा पंजीकृत कराया गया। मृतक की उम्र 20 वर्ष थी तथा वह पूना में प्राईवेट फैक्ट्री में ए.सी. का सामान बनाने की मशीन चलाने का कार्य करके ₹ 15,000/– प्रतिमाह कमा लेता था।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.07.02 18:05:48 IST
Reason: Document Owner
Location: MOTOR ACCIDENT CLAIM TRIBUNAL JHANSI UP

3. विपक्षी सं. 1 व 2 क्रमशः ट्रक नं. यू.पी. 43 टी 9165 के पंजीकृत स्वामी व चालक की ओर से 18 बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों को अस्वीकार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि विपक्षी सं. 1 के ट्रक से कथित दुर्घटना नहीं हुयी है। विपक्षी सं. 2 ट्रक का चालक घटना की तिथि को प्रश्नगत ट्रक को चला रहा था किन्तु उससे दुर्घटना की दिनांक पर कथित कोई घटना नहीं हुयी तथा विपक्षी सं.1 के ट्रक को बाहरी जानकर झूंठा संलग्न किया है। विपक्षी सं. 1 के पास ट्रक चलाने का वैध लाइसेन्स है जिसका नं. यू.पी. 3219960317589 है जो दिनांक 17.09.2020 तक वैध है। दुर्घटना की तिथि को विपक्षी सं. 1 का वाहन विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी से विधिवत बीमित था।

4. विपक्षी सं. 3 न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड कथित ट्रक सं. यू.पी. 43 टी 9165 की बीमा कम्पनी की ओर से 27 बी जवाबदावा दाखिल किया गया है जिसमें उसने याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि याचिका में कथित किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित नहीं हुयी है। दुर्घटना की दिनांक व समय पर यदि प्रश्नगत ट्रक के चालक के पास वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स नहीं था और न ही उक्त ट्रक बीमित था तो ऐसी परिस्थितियों में विपक्षी बीमा कम्पनी का उत्तरदायित्व याची को क्षतिपूर्ति धनराशि अदा करने का नहीं है। विपक्षी बीमा कम्पनी का उत्तरदायित्व बीमा पॉलिसी की शर्तो के अनुसार ही होता है।

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनॉक 01.05.2019 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैंः–

1. क्या दिनांक 13.10.2018 को दोपहर लगभग 3 बजे अंतर्गत थाना मोठ, जिला झाँसी, झाँसी कानपुर रोड पर इद्दू होटल के पास ट्रक नंबर यूपी 43 टी 9165 के चालक ने अपने वाहन को तेजी और लापरवाही से चलाकर झाँसी की तरफ से आकर सड़क के किनारे खड़ी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार दीपक को गहरी चोटें आई, जिसके परिणामस्वरूप इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी?

2. क्या कथित दुर्घटना की दिनॉक व समय पर ट्रक नंबर यूपी 43 टी 9165 के चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था?

3. क्या कथित दुर्घटना की दिनॉक व समय पर ट्रक नंबर यूपी 43 टी 9165 विपक्षी सं. 3 न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी लि. सिविल लाइंस से बीमित था?

4. क्या याची कोई प्रतिकर पाने का अधिकारी है, यदि हॉ, तो कितनी व किस विपक्षी से?

6. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः–

1. याची द्वारा फेहरिस्त 7 सी1 के माध्यम से 8 सी1 लगायत 12 सी1 प्रपत्र, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, बीमा पालिसी, आधार कार्ड आदि की छाया प्रतियॉ शामिल हैं,

2. याची द्वारा फेहरिस्त 30 सी1 के माध्यम से 20 सी1 लगायत 25 सी1 प्रपत्र, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोपपत्र, नक्शा नजरी, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट, वाहन रिलीज आदेश की प्रमाणित प्रतियॉ शामिल हैं।

3. विपक्षीगण सं. 1 व 2 द्वारा फेहरिस्त 19 सी1 के माध्यम से 31 सी1/1 लगायत 35 सी1/2 प्रपत्र, जिनमें पंजीयन प्रमाणपत्र, परमिट, बीमा पालिसी व ड्राईविंग लाइसेंस व आधार कार्ड आदि की छाया प्रतियां शामिल हैं,

4. मौखिक साक्ष्य में याची की ओर से पी.डब्लू. 1 याची दुर्गा प्रसाद एवं पी.डब्लू. 2 चाँद खाँ को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है।

5. विपक्षीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में कोई भी साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है।

7. मैंने उभय पक्ष की ओर से वर्चुअल कोर्ट मे उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

8. <u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1</u>

पी.डब्लू. 1 याची दुर्गा प्रसाद जो कि मृतक का पिता है, ने याचिका के समर्थन में साक्ष्य दिया है किन्तु यह चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। पी.डब्लू. 2 चाँद खाँ चक्षुदर्शी साक्षी है जिन्होंने कथन किया है कि घटना दिनॉक 13.10.2018 समय 3.00 बजे सायं की है। उस समय वह इद्दू होटल के सामने खड़ा था। उसने देखा कि उसके गांव के दीपक मोटर साइकिल से मनीष के साथ आ रहा था। इद्दू होटल के पहले रविन्द्र खड़ा था। उसे देखकर दोनों रुक गये और मोटर साइकिल को बन्द कर सड़क किनारे खड़े होकर बात करने लगे तभी झॉसी की ओर से एक ट्रक नं. यू.पी. 43 टी 9165 जिसका चालक उक्त ट्रक को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और सड़क किनारे खड़े दीपक व मनीष एवं बंद खड़ी मोटर साइकिल में टक्कर मार दी जिससे मोटर साइकिल क्षतिग्रस्त हो गयी व दीपक, मनीष को गम्भीर चोटें आयीं। मौके पर उपस्थित लोगों की सहायता से दोनों को इलाज के लिए मोंठ सरकारी अस्पताल ले गये। प्राथमिक उपचार के बाद दीपक की हालत चिन्ता जनक होने के कारण झॉसी मेडिकल कालेज रेफर किया गया। दौरान इलाज घटना में गम्भीर चोट की वजह से उसी रात्रि में दीपक की मृत्यु हो गयी। इस साक्षी की प्रति परीक्षा से ऐसी कोई तात्विक विसंगति स्पष्ट नहीं हुई है जिससे इस साक्षी की सत्यता पर संदेह किया जा सके। बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से मैं सहमत नहीं हूं की यह साक्षी आरोपपत्र का साक्षी नहीं है इसलिए इसके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से भी मैं सहमत नहीं हूं की घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट सोच विचार कर दो दिन पश्चात लिखाई गई है क्योंकि 2 दिन का विलंब इतना बड़ा विलंब नहीं है जिससे संदेह उत्पन्न होता है। इकलौते पुत्र की मृत्यु पर पिता को रिपोर्ट लिखाने की सुध नहीं रह पाती है। दिनांक 13.6.2018 की रात में मृत्यु हुई है। दिनांक 14.6.2018 को अंतिम क्रिया कर्म हुआ होगा और दिनांक 15.6.2018 को पिता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। विधि व्यवस्था **<u>रवि बनाम बद्रीनारायण व अन्य (18.02.2011 – SC): MANU / SC / 0133/2011</u>** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि *मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के दावे के लिए एफ.आई.आर. निश्चित रूप से दुर्घटना के तथ्य को साबित करती है जिससे कि पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिए एक मामले को दर्ज करने में सक्षम है लेकिन ऐसा करने में देरी दावे को खारिज करने का मुख्य आधार नहीं हो सकती है। घटनाओं के संचयी प्रभाव को आंका जाना है। [पैरा – 20 और 21]*। विधि व्यवस्था **<u>अर्चित सैनी व अन्य बनाम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य</u>** <u>(09.02.2018 – SC): MANU / SC / 0105/2018</u> के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि *मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले में दावेदारों को मामले मे इतनी यात्रा की आवश्यकता नहीं है जितनी एक आपराधिक मुकदमे में। न्यायालय को इस अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। एक विशेष बस द्वारा एक विशेष ढ़ंग से दुर्घटना कारित किए जाने को सख्त सबूत द्वारा साबित किया जाना दावेदारों के लिए संभव नहीं है। दावेदारों को केवल अधिसंभाव्यता की प्रबलता की*

कसौटी पर अपना मामला स्थापित करना था। उचित संदेह से परे प्रमाण का मानक नहीं हो सकता था।

विपक्षी गण की ओर से ऐसी कोई अन्वेषण आख्या या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि दीपक कुमार की मृत्यु किन्हीं अन्य कारणों से हुई है या घटना में यह वाहन संलिप्त नहीं था या इस दुर्घटना में दीपक कुमार की भी लापरवाही रही थी।

9. याचीगण की ओर से दाखिल 33 सी1/2 नक्शा नजरी की सत्यप्रतिलिपि निम्न प्रकार है–

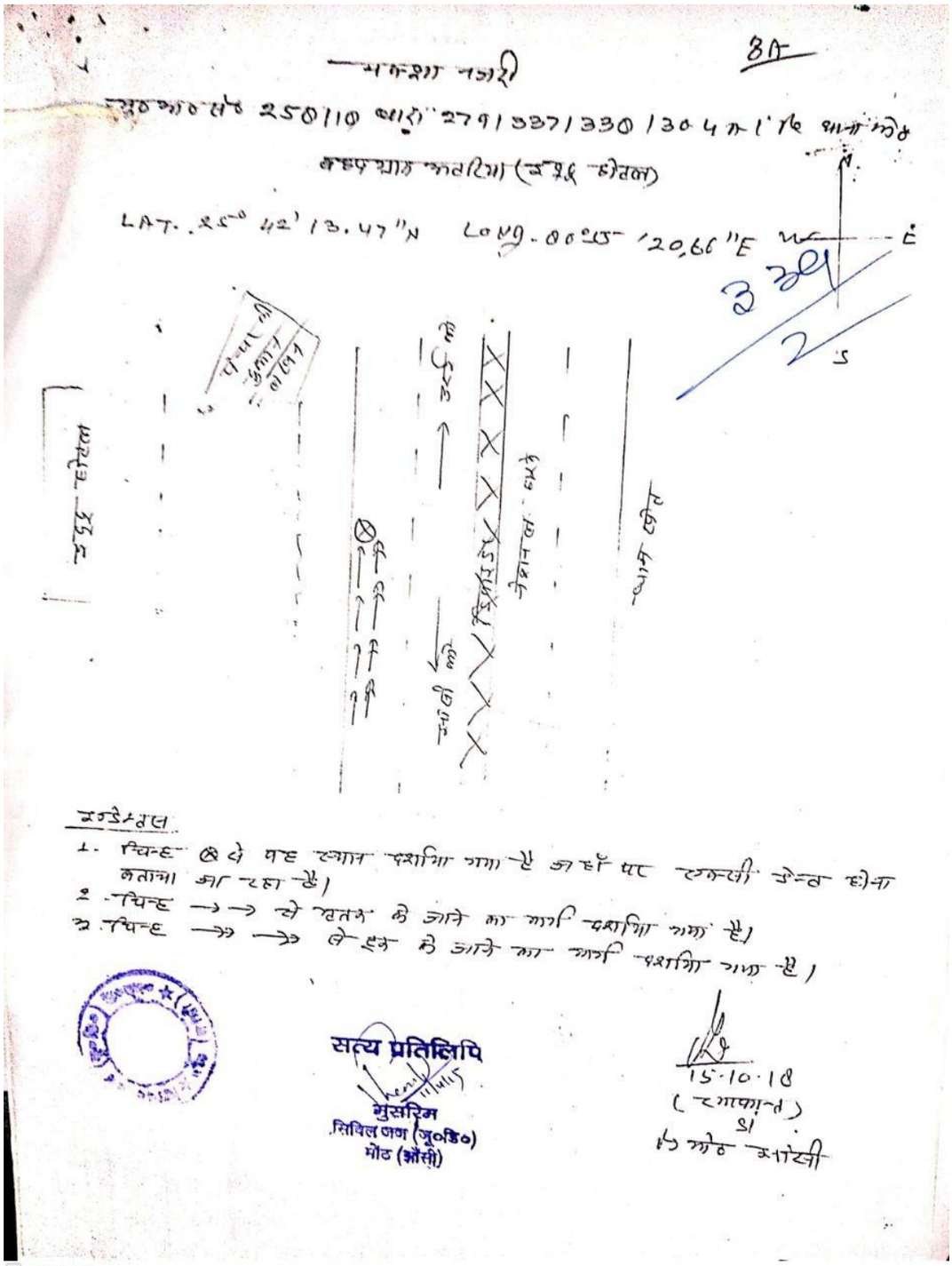

उक्त नक्शा नजरी के अवलोकन से साबित होता है कि मृतक दीपक कुमार सड़क की गलत दिशा मे नही है। उक्त दुर्घटना के सम्बन्ध में दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपत्र सं.

31 सी1/2 लगायत 31 सी1/3 व आरोपत्र की सत्य प्रतिलिपि प्रपत्र सं . 32 सी1/2 लगायत 32 सी1/4 के अवलोकन से यह साबित होता है कि ट्रक नं. यू.पी. 43 टी 9165 के चालक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा–279, 338, 304 ए भा.दं.सं. मे पंजीकृत की गयी तथा विवेचक ने उक्त प्रकरण में बाद विवेचना उक्त ट्रक के चालक गुरू प्रसाद के विरूद्ध ही आरोप पत्र दाखिल किया है। पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट की सत्य प्रतिलिपि प्रपत्र सं . 34 सी1/2 लगायत 34 सी1/8 के अवलोकन से साबित होता है कि मृतक की मृत्यु 'एण्टी मॉर्टम इंजरी आने के कारण शॉक एण्ड हेमरेज' से हुयी है। प्रश्नगत दुर्घटना आमने–सामने की नहीं है तथा पत्रावली पर उपलब्ध उक्त साक्ष्य से ट्रक नं. यू.पी. 43 टी 9165 के चालक के चालक द्वारा सड़क के किनारे खड़े दीपक व किनारे खड़ी मोटर साइकिल में तेजी व लापरवाही से अपने ट्रक को चलाकर टक्कर मार देने से दुर्घटना कारित होना साबित है। विपक्षीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है और न ही प्रश्नगत ट्रक के चालक को ही परीक्षित कराया गया है। तदनुसार वाद बिंदु संख्या एक सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

10. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर विपक्षी सं.1 व 2 की ओर से प्रपत्र सं. 32 सी1/1 ता. 2 व 23 सी1 उक्त ट्रक चालक दुर्गा प्रसाद पुत्र शिवकरन सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र कीद सत्यापित प्रति व दुर्गा प्रसाद की चालन अनुज्ञप्ति की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है। यह चालन अनुज्ञप्ति दिनॉक 07.09.1996 को जारी की गयी है तथा यह दिनॉक 25.11.1998 से 17.09.2020 तक ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए अनुज्ञप्त है। इस अनुज्ञप्ति का खंडन बीमा कम्पनी द्वारा नही किया जा सका है। घटना दिनॉक 13.10.2018 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ट्रक नं. यू.पी. 43 टी 9165 के चालक के चालक के पास दुर्घटना की दिनांक एवं समय पर प्रश्नगत वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था। अत: वाद बिन्दु सं. 2 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

11. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याची की ओर से प्रपत्र सं. 11 सी1 व 21 सी1 तथा वाहन स्वामी व चालक विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से प्रपत्र सं. 22 सी1 व 23 सी1 बीमा पॉलिसी की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिनके अनुसार , चेसिस सं./इंजन सं. **03072/3662139** का बीमा दिनॉक 09.02.2018 से 08.02.2019 तक प्रभावी है। प्रपत्र सं. 20 सी1 आर.सी. के अनुसार उक्त चेसिस सं. MAT541089J1A**03072** व इंजन सं. ISBE5.91804081A6**3662139** वाहन नं. यू.पी. 43 टी 9165 के रूप मे विपक्षी सं. 1 के नाम पंजीकृत है। इस पॉलिसी का खंडन बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। घटना दिनॉक 13.10.2018 की है। इस प्रकार वाद बिन्दु सं. 3 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

12. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4</u>

चूंकि दुर्घटना ट्रक नं. यू.पी. 43 टी 9165 के चालक के चालक की तेजी व लापरवाही के कारण हुयी है और दुर्घटना में याची के पुत्र की मृत्यु हुयी है। पी.डब्लू.1 के रूप में याची सं. 1 दुर्गा प्रसाद ने स्वयं को मृतक पर निर्भर होना बताया है तथा उसने कथन किया है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गयी है तथा मृतक उसका इकलौता पुत्र था और उसकी शादी नहीं हुयी थी। याची अकेला बचा है। अतः याची क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी है। अब प्रश्न यह है कि किस विपक्षी से और कितनी? चूंकि वाद बिन्दु सं. 1, 2 व 3

सकारात्मक रूप से निर्णीत किये गये हैं अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी सं. 3 दि न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड का है।

13. <u>क्षतिपूर्ति की गणना–</u>

पी.डब्लू. 1 जो कि हितबद्ध साक्षी है ने, पूना में प्राइवेट फैक्ट्री में ए.सी. का सामान बनाने वाली मशीन चलाने के कार्य से मृतक की आय ₹ 15,000/– प्रतिमाह बताई है किंतु इस संबंध में ए.सी. का सामान बनाने वाली मशीन के स्वामी द्वारा ₹ 15,000/– प्रतिमाह दिए जाने के सम्बन्ध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं दिया गया है और न ही याचीगण द्वारा मृतक की आय का कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। इन परिस्थितियों में नोशनल आय को संज्ञान में लेना ही न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था Laxmi Devi and Ors. vs. Mohammad Tabbar and Ors. (25.03.2008 – SC) : MANU/SC/ 7368/ 2008 मे माननीय उच्चतम न्याालय द्वारा अकुशल मजदूर के लिए 12 वर्ष पूर्व ₹100 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। विधि व्यवस्था Chandrawati vs. Shushil Kumar and Ors. (01.08.2018 – ALLHC) : MANU/UP/2954/2018 मे माननीय उच्च न्याालय इलाहाबाद द्वारा अकुशल मजदूर के लिए ₹ 200/– प्रतिदिन की मजदूरी उचित मानी है। उल्लेखनीय है कि भारत मे असंगठित क्षेत्र के कार्मिक को पूरे वर्ष रोजगार नही मिलता है। वास्तव मे कल्पित आय एक अनुमान है जो काल, स्थान व परिस्थितयों पर आधारित होता है। माह मे औसतन चार दिन कार्य न लग पाने की संभावना रहती है। इस प्रकार मृतक की कल्पित आय (Notional Income) ₹ 165/– प्रतिदिन निर्धारित की जाती है।

14. पी.डब्लू. 1 ने मृतक की आयु 20 वर्ष बतायी है तथा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी मृतक की आयु 20 वर्ष अंकित है। हलॉकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयु का निश्चायक सबूत नहीं होती है किंतु चूॅकि पी.डब्लू. 1 ने मृतक की आयु 20 वर्ष बताई है जिसका खंडन नहीं हो सका है अतः मैं इस निष्कर्ष का हूॅ कि मृतक की आयु 20 वर्ष की थी। विधि व्यवस्था National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. (31.10.2017 – SC) : MANU/SC/1366/2017 के अनुसार 18 का गुणक, प्रयोज्य है। 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए 40 % भविष्य मे प्रत्याशा की वृद्धि, स्वयं के खर्च पर 1/2 भाग की कटौती, याची के इकलौते पुत्र की मृत्यु के दृष्टिगत संपदा की क्षति के लिए ₹ 15,000/– तथा दाह संस्कार के लिए ₹ 15,000/– निर्धारित किये जाते हैं।

वार्षिक आय= आय प्रतिदिन x माह के दिन x वर्ष के माह	165	30	12	59400
भविष्य प्रत्याशा (प्रतिशत में)			40	23760
स्वयं पर खर्च (भाग में)			2	41580
स्वयं पर खर्च घटाने पर (गुण्य)				41580
गुणक			18	748440
~~वैवाहिक साहचर्य की क्षति~~				748440
संपदा की क्षति			15000	763440
अंतिम संस्कार पर खर्च			15000	**778440**
देय क्षतिपूर्ति				**778440**

इस प्रकार क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि ₹ 7,78,440/– आती है। विधि व्यवस्था National Insurance Company Ltd. vs. Mannat Johal and Ors. (23.04.2019 – SC) : MANU/SC/0589/2019 के आलोक मे 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, स्वीकार किया जाना न्यायोचित

होगा। विधि व्यवस्था Jai Prakash vs. National Insurance Co. Ltd. and Ors. (17.12.2009 – SC) : MANU/SC/1949/2009 के आलोक मे क्षतिपूर्ति धनराशि की पंच वर्षीय सावधि जमा से वार्षिकी प्राप्त करने की योजना बनाया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

याची की याचिका विपक्षी सं. 1 शीरी बेगम व 2 गुरूप्रसाद के विरुद्ध संयुक्त एवं प्रथक–प्रथक रूप से क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ 7,78,440/– (सात लाख अठत्तर हजार चार सौ चालीस) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, हेतु आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी संख्या 3 दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को निर्णय के दिनॉक से 60 दिन के अंदर क्षतिपूर्तिकर्ता के रूप मे क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या 3671000101192489 (IFSC: PUNB0367100) मे RTGS/NEFT के माध्यम से कर दे।

याची को प्राप्त होने वाली धनराशि का 75 प्रतिशत भाग सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा मे 5 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेशित की जायेगी जिसका प्रतिमाह ब्याज याची प्राप्त करता रहेगा। शेष नगद धनराशि नयायाधिकरण के आदेश पर याची के बैंक खाते मे RTGS/NEFT के माध्यम से स्थानांतरित कर दी जायेगी। याची की उक्त निवेशित धनराशि याची की इच्छा पर 5 वर्ष के पश्चात पुनर्निवेशित की जा सकेगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनॉक 02.07.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनॉक 02.07.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी